

सूचना

राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार से प्राप्त पत्रांक: SHSB/PM/463/2014/Part-1/747, दिनांक 09/05/2025 के अनुसार BMSICL के दर-अनुबंधित औषधियों के प्राथमिक पैकेजिंग लेवल एवं द्वितीयक पैकेज लेवल पर Bar Code (त्वरित प्रतिक्रिया कोड) को प्रिंट अथवा चिपकाये जाने का अनुरोध किया गया है। इस संबंध में दिनांक 14/01/2025 एवं 09/04/2025 को अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य विभाग की अध्यक्षता में औषधियों की आपूर्ति एवं उपलब्धता विषयक पर आहूत समीक्षात्मक बैठक में भी अपर मुख्य सचिव द्वारा दर-अनुबंधित औषधियों पर बार कोड की व्यवस्था शीघ्र लागू करते हुये सरकारी अस्पतालों में औषधि की आपूर्ति, वितरण एवं उपयोग Bar Code के माध्यम से कराने का निदेश दिया गया है।

2. औषधियों के पैकेज लेवल पर अंकित Bar Code के माध्यम से संग्रहित डाटा/सूचना में निम्नलिखित विवरण आवश्यक रूप से समाहित किया जाना है:-

- उत्पाद पहचान कोड (Unique product identification code);
- Drug Code;
- औषधि का उचित और जेनरिक नाम (Proper and generic name of the drug);
- ब्रांड नाम (Brand Name);
- निर्माता का नाम और पता (Name and address of the manufacturer);
- बैच संख्या (Batch number);
- निर्माण की तिथि (Date of manufacturing);
- तिथिवाद अथवा अवसान की तिथि (Date of expiry);
- निर्माण अनुज्ञप्ति संख्या (Manufacturing license number);
- 'स्ट्रीप की टैबलेट/गोली की संख्या' का प्रदर्शन

3. औषधियों के Bar code के संबंध में यह ध्यान रखा जाय कि:-

- स्ट्रीप के चारों कोने (every corner) पर Bar Code प्रिंट किया जाय एवं यह Readable/ स्कैनिंग योग्य हो।
- औषधि के अवसान की तिथि तक Bar Code स्कैनिंग योग्य/Readable होना चाहिए।
- Bottle, Vial, Ampoule** के प्रथमिक पैकेज लेवल में अपर्याप्त स्थान के मामले में, **Vial, Ampoule** के प्रत्येक द्वितीयक पैकेज लेवल पर **Bar Code** इस प्रकार प्रिंट किया जाए ताकि बार कोड स्कैन करने पर **Readable** हो सकें।
- Bar Code** इस प्रकार हो कि वह कम्प्यूटर एवं मोबाइल कैमरा से स्कैन किया जा सके।
- Bar Code** का मानक **GS1 Standard** का होना चाहिए।
- सभी औषधियों पर अंकित **Bar Code** से संबंधित सूचनाओं की प्रविष्टि (**Unique Identification code** के अनुसार) **DVDMS** में संदर्भित औषधि के लिए होना चाहिए ताकि औषधियों का वितरण **Bar Code** के अनुसार **DVDMS** के माध्यम से सुगमतापूर्वक हो सके।

3. विदित हो कि BMSICL के Bid Document के क्रमांक 23 (h) The drugs shall also be supplied with bar coding conditions के अनुसार भी उक्त नियम का अनुपालन दर अनुबंधित निर्माता संस्थानों से कराया जाना आवश्यक है, जो भारत सरकार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अधिसूचना संख्या 823 (अ) दिनांक 17/11/2022 द्वारा औषधि एवं प्रसाधन नियमावली, 1945 के तहत अनुसूची ज-2 (Schedule H2) वाले औषधियों के अतिरिक्त अन्य सभी दर अनुबंधित औषधियों पर भी प्रभावी होगा।

5. अतः निदेशित किया जाता है कि BMSICL में आपूर्ति करने वाले सभी फर्मों को औषधियों/सामग्रियों के प्राथमिक पैकेजिंग लेवल पर अथवा अपर्याप्त स्थान के मामले में द्वितीयक पैकेज लेवल पर Bar Code (त्वरित प्रतिक्रिया कोड) प्रिंट/चस्पा कराने की दिशा में समुचित कार्यवाई की जाय अन्यथा अनुपालन नहीं करने पर औषधियों/सामग्रियों निगम के भंडार गृह में स्वीकार्य नहीं की जाएगी अथवा निविदा शर्त के आलोक में दण्डात्मक कार्यवाई की जाएगी।

महाप्रबंधक (अधिप्राप्ति)

ज्ञापक :- BMSIC/40015/02-2018/१२४८

दिनांक- १५/०५/२०२५

प्रतिलिपि:- 1. सभी निविदादाताओं को सूचनार्थ एवं अनुपलानार्थ हेतु प्रेषित।

2. कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति को सादर सूचनार्थ।

महाप्रबंधक (अधिप्राप्ति)